रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 565] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 1985/अग्रहायण 8, 1907

No. 565] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 1985/AGRAHAYANA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1985

का. आ. 866 (अ).—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 387 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1979, सं. का. आ. 497 (अ) तारीख 5 जुलाई, 1980 सं. का. आ. 541 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1981, सं. का. आ. 480 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1982, सं. का. आ. 497 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1983, सं. का. आ. 489 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1984, सं. का. आ. 983 (अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1984 सं. का. आ. 67 (अ) तारीख 31 जनवरी, 1985 सं. का. आ. 382 (अ), तारीख 30 मार्च, 1985 सं. का. आ. 500 (अ) तारीख 28 जून, 1985, और सं. का. आ. 718 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 1985, के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 426 (अ), तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लि., चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के स्थापन एकक का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 30 नवम्बर, 1985 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए ग्रहण कर लिया गया था और मैं. असम इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध मैं. असम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के पास 30 नवम्बर, 1986 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 नवम्बर, 1986 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[सं. 4 (4)/80-सी यू एस)]

ए. वी. सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th November, 1985

S.O. 866(E).—Whereas by the Order of the Government of Indian the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426(E) dated the 8th July, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Nos. S.O. 387(E), dated the 7th July, 1979, S.O. 497(E), dated the 5th July, 1980, S.O. 541(E), dated the 6th July, 1981, S.O. 480(E), dated the 7th July, 1982, S.O. 497(E), dated the 7th July, 1983, S.O. 489(E), dated the 6th July, 1984, S.O. 983(E), dated the 31st December, 1984, S.O. 67(E), dated the 31st January, 1985, S.O. 282(E), dated the 30th March, 1985, S.O. 500(E), dated the 28th June, 1985 and S.O. 718(E), dated the 30th September, 1985 the management of the Chemical Unit of Industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur was taken over under clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), upto and inclusive of 30th November, 1985 and Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue to be under the management of Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited upto and inclusive of 30th November, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect upto and inclusive of the 30th November, 1986.

[File No. 4(4)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985